



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2480]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936

No. 2480]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3075(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 682 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर 325.00 कि.मी. पर षाहजहांपुर पुल (गढ़ नदी पुल) के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ("प्राधिकरण") को प्राधिकृत किया है।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 682(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 को निरस्त करती है।

[फा.सं. भारास्रा/13013/सीओ/11-12/षाहजहांपुर पुल]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2014

S.O. 3075 (E).— in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification number S.O. 682(E), dated 13th March, 2013 of the Government of India has authorized National Highways Authority of India (the "Authority") to levy and collect fee on mechanical vehicles for the use of Shahjahanpur Bridge [Garrah river bridge] at km. 325.00 on NH-24 in the State of UP.

Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 682(E), dated 13th March, 2013.

[F. No. NHAI/13013/CO/11-12/Shahjahnpur Bridge]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.